न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – पूरनसिंह मीना, आर. जे. एस.

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या – 308/2011 (508/2011)

CIS NO 7091/2014

सरकार, जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी

बनाम

रविन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री गोपाल सिंह सिसोदिया, मैंसर्स –गोपाल मिष्ठान भंडार शास्त्री नगर कनक गार्डन के पास अजमेर निवासी गोपाल गंज, अजमेर।

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 7 / 16 खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954

उपस्थितिः–

1. **सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।**
2. **श्री प्रशान्त शर्मा, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।**

निर्णय **दिनांक 12.09.2024**

1. संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि यह है कि उसे जरियें अधिसुचना दिंनाक 15.06.07 राजस्थान सरकार चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–3) द्वारा खाध निरीक्षक अधिकृत किया है। दिनाक 04.11.2010 को निरिक्षण बाबत 04.30 PM. पर वह राजेश कुमार त्रिपाठी बाहेसियत खाद्य निरीक्षक मैंसर्स गोपाल मिष्ठान भंडार शास्त्री नगर, कनक गार्डन के पास अजमेर पर पहुॅचा व विक्रेता को अपना परिचय दिया, उससे परिचय लिया। विक्रेता ने अपना नाम रविन्द्रसिंह पुत्र गोपाल सिंह बताया वह उसकी दुकान पर आम जनता को विक्रय हेतु मावे की मिठाइयाँ लड्डू व खोया आदि सामग्री रखी हुई थी । विक्रेता से वर्ष 2010 का खादय अनुज्ञा पत्र माँगा, जो मौके पर मौजूद था। मैंसर्स गोपाल मिष्ठान भंडार शास्त्री नगर अजमेर का निरीक्षण करने पर एक थाल में 4.5 किलो खोया (फीका मावा) पड़ा था । शक होने पर विक्रेता को गवाह के सामने मेंने प्रपत्र –V। कर दिया व दूसरे प्रपत्र – V। पर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है । V। विक्रेता को भरकर देने से पहले विक्रेता व गवाह को बता दिया था कि खोया (फीका मावा) का P.F.A Act के तहत जॉच हेतु नमुना ले रहा है। गवाह के सामने विक्रेता को 120/रु (अक्षरे एक सौ बीस) नगद देकर उक्त थाल में रखा 750 ग्राम खोया खरीदा। विक्रेता को दिये गये रूपयों की रसीद प्राप्त की, जिस पर

उसके व विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। उक्त खरीद शुदा 750 ग्राम खोया विक्रेता व गवाह सामने बराबर मात्रा में तीन साफ सुखी खाली कांच की शिशियों में डाल कर प्रत्येक में 20–20 बूँद फॉरमलिन डालकर ढक्कन लगा एयरटाइट बंद किया। तीन लैबल तैयार किये, जिन पर स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी, अजमेर के कोड व सीरीयल नंबर वस्तु का नाम, नमुना लेने का स्थान, दिनाक, स्वय का नाम, पद, पदस्थापन स्थान व हस्ताक्षर अंकित किये । प्रत्येक नमूना बोतल पर उपरोक्त लैबल गोंद से चिपकाया । प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे भूरे कागज में लपेटकर, कागज के दोनो सिरों को गोंद से चिपकाया । प्रत्येक नमूने पर डॉ. जवाहर लाल गार्गिया स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी व मुख्य चिकित्सा एंव स्वा. अधिकारी, अजमेर द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप, जिसका कोड व सीरीयल नं. A/2545 है, गोंद से नियमानुसार ऊपर से होते हुये नीचे तक प्रत्येक नमुने पर चिपकायी । प्रत्येक नमूने को धागे से नियमानुसार अलग–अलग बॉधा व चार चार सील चपडी नियमानुसार प्रत्येक नमुने पर लगायी । नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, अजमेर के कोड व सीरियल नंबर , दिनाक, वस्तु का नाम, स्थान व स्वयं के हस्ताक्षर अंकित किये हैं। नियमानुसार विक्रेता से प्रत्येक नमूने पर हस्ताक्षर (पेपर स्लिप से होते हुये रैपर तक) करवाये व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर किये । तीनों नमूनों को सीलबंद अवस्था में अपने कब्जे में लिया । मौका पंचनामा मौके पर ही गवाह व विक्रेता के सामने तैयार किया। जिस सील से नमुना सील किया, इसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया । मौका पंचनामा मौके पर ही गवाह व विक्रेता को पढाकर सुनाकर, समझाकर पहले स्वयं ने, फिर विक्रेता व गवाह ने पूरे होशेहवास में अपने हस्ताक्षर किये । A/ 2545 नमुने के एक सीलबन्द भाग को फार्म नम्बर 7 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमुना अंकित था जो उसने नमुना लेते समय काम में ली थी एक आऊटर कवर में बन्द कर नाम व पते लिख कर दिंनाक 08.11.2010 को स्वंय के द्वारा जनविश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जमा करवाया रसीद पाप्त की। इस प्रकरण के समस्त असल मूल कागजात वास्ते अभियोजन स्वीकृति बाबत एल (एच) ए एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को प्रस्तुत किये व संबधित अधिकारी ने समस्त कागजातों पर अपने लघु हस्ताक्षर किये। जरिए लिखित स्वीकृति उसको आदेश दिये कि अभियुक्त रविन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री गोपाल सिंह सिसोदिया के विरूद्ध इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत करें जिस पर उनके द्वारा हस्तगत परिवादपत्र न्यायाल के समक्ष पेश किया गया आदि.....।

02– उक्त परिवाद पेश होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 7 / 16 खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत प्रथमदृष्टया मामला बनना पाये जाने पर प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् बहस चार्ज सुने जाने के उपरांत अभियुक्त को उक्त धारा के

तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उनके द्वारा आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

03– आरोप पश्चात् साक्ष्य में गवाह पीड–1 राजेश कुमार त्रिपाठी, पीड–2 डॉ लच्छमन हरचंदानी, पीड–3 डॉ जवाहरलाल गार्गिया, पीड–4 प्रेमचंद शर्मा को परिक्षित करवाया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–17 हैं।

04– अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लिए गए, जिसमें उसके द्वारा यह जाहिर किया गया कि वह निर्दोष हैं। उसके विरूद्ध झूठा केस बनाया है व कथन किया कि उसकी दुकान से किसी प्रकार के सैम्पल नहीं लिए गए थे तथा अभियुक्त पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा में गवाह डीडब्ल्यू–01 रविन्द्रसिंह को परीक्षित करवाया व अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया गया।

05– बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उनका मामला संदेह से परे प्रमाणित होने के कारण अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीतए अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस कथन किए गए कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। खाद्य निरीक्षक द्वारा पीएफए अधिनियम के तहत सैंपलिंग की कार्यवाही के समय किसी स्वतंत्र गवाह को कार्यवाही हेतु गवाह बनाए जाने के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

06– इसके विपरीत विद्वान् अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि प्रकरण के परिवादी ने प्रकरण में लिये गये सैंपल को जांच हेतु जन विश्लेषक प्रयोगशाला में प्रेषित किये जाने की संदेह से परे साक्ष्य दी है, जिसकी पुष्टि मौके की कार्यवाही के गवाह पी.ड. 1 राजेश त्रिपाठी की साक्ष्य से भी होती है। प्रश्नगत सैंपल का अपमिश्रित पाया जाना पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने से उसे दोषसिद्ध किया जावे।

07– उभय पक्षों के तर्कों के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से अवधारणीय प्रश्न यह है, कि–

01– आया दिनांक 04.11.2010 को समय 4:30 पी.एम. या इसके लगभग शास्त्री नगर, कनक गार्डन के पास, अजमेर स्थित अभियुक्त के नियंत्रणाधीन मैसर्स गोपाल मिष्ठान भंडार पर विक्रयार्थ रखे खोया का सैंपल प्राप्त किया, जो बाद जांच निर्धारित मानक कोटि का नहीं पाया गया ?

02– यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार होगा ?

08. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन द्वारा अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने हेतु खाद्य निरीक्षक गवाह पीड.1 राजेश त्रिपाठी को परिक्षित करवाया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि दिनांक 04.11.2010 को वह गोपाल मिष्ठान भण्डार शास्त्री नगरए अजमेर पर पहुंचा। वहां उपस्थित विक्रेता द्वारा पूछने पर अपना नाम रविन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह बताया। इस गवाह के अनुसार निरीक्षण करने पर एक थाल में लगभग चार साढ़े चार किलो फीका मावा खोया पड़ा हुआ था। वहां रखे खोया में से उसने अन्य गवाह प्रेमचंद के सामने फार्म नंण् 6 विक्रेता को भरकर दिया, उससे पहले उसने विक्रेता को बता दिया था कि वह पनीर का नमूना वास्ते जांच पीएफए अधिनियम के तहत ले रहा है। उसके द्वारा फार्म नंबर 6 पर विक्रेता के हस्ताक्षर कराए गए व गवाह व उसने हस्ताक्षर किए। गवाह के सामने उसने विक्रेता को 120/– रुपये देकर कुल 750 ग्राम खोया वास्ते जांच खरीदा और पैसों की रसीद प्राप्त की। गवाहान के सामने उसने तीन साफ सुखे खाली शीशी में खरीदे गए खोये को तीन बराबर हिस्सों में डालकर प्रत्येक में बीस.बीस बूंद फार्मलीन की डालकर ढक्कन लगाकर बंद किया। उसके द्वारा प्रत्येक नमूने पर लेबल लगाया गयाए जिस पर उसने गवाह व विक्रेता ने अपने हस्ताक्षर किए। उसके द्वारा मौके पर नियमानुसार शीशी को सील मोहर किया गया। मौके पर बनाया गया पंचनामा प्रदर्श पी.8 पर उसके ए से बीए अन्य गवाह के ई से एफ व विक्रेता के सी से डी हस्ताक्षर है। उसके द्वारा फार्म नंबर 7 के द्वारा नमूने का एक भाग जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जमा कराया गयाए जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.9 है व फार्म नंबर 7 की दो प्रतियां लैब में जमा कीए जिसकी जमा रसीद प्रदर्श पी.10 है। सीएमएचओ को दो भाग में जमा करने की रसीद प्रदर्श पी.11 है। इस गवाह के अनुसार सीएमएचओ द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी.12 के अनुसरण में उसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रदर्श पी.1 प्रस्तुत किया गया। इस गवाह के द्वारा खाद्य निरीक्षक के रूप में अधिनियम के तहत शक्तियां प्राप्त होने के संबंध में दस्तावेजात अधिसूचना प्रदर्श पी.2 ए 3 ए 4 ए 5 प्रदर्शित करवाये गये हैं।

09. सैंपलिंग की कार्यवाही के समय उपस्थित अन्य गवाह पीड.4 प्रेमचंद शर्मा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 04.11.2010 को खाद्य निरीक्षक राजेश त्रिपाठी के साथ निरीक्षण हेतु शास्त्री नगर स्थित गोपाल मिष्ठान भण्डारए अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुंचना व वहां पर विक्रेता की हैसीयत से मौजूद व्यक्ति द्वारा अपना नाम रविन्द्र बताये जाने के कथन किए हैं। इस गवाह के अनुसार वहां मौके पर एक थाल में लगभग 4.5 किलो खोया फीका मावा रखा हुआ थाए जिसमें मिलावट का शक होने पर अजय मोयल के द्वारा विक्रेता को प्रपत्र संख्या 6 भरकर दियाए जिस पर उसकेए विक्रेता व अजय मोयल के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 6 भरने से पहले राजेश त्रिपाठी ने विक्रेता को बता दिया था कि वह खोये का नमूना पीएफए अधिनियम

के तहत जांच हेतु ले रहा है। उसके सामने विक्रेता को 120 ध्. रुपये नकद देकर खोये में से 750 ग्राम जांच हेतु खरीदा गयाए जिसको तीन साफ सुथरे खाली सूखी शीशियों में प्रत्येक में लगभग 250.250 ग्राम डालकर तथा प्रत्येक जार में 20.20 बुंदे फार्मेलिन की डालकर एयर टाईट ढक्कन से बंद किया गया। प्रत्येक नमूना शीशी पर लेबल चिपकाये गये व नियमानुसार सील चपड़ी लगायी गयी। प्रत्येक नमूना शीशी पर विक्रेताए उसने व राजेश त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किए थे। समस्त कार्यवाही राजेश त्रिपाठी के द्वारा उसके तथा विक्रेता के समक्ष मौके पर ही की गयी थी। मौका पंचनामा प्रदर्श पी.6 ए 7 व 8 पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पीड. 2 डॉ लक्ष्मण हरचंदानी अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 04.11.2010 को सीएमएचओ के पद पर कार्यरत होना व उस दिन खाद्य निरीक्षक राजेश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजर के आधार पर पनीर के नमूने का मानक कोटि का नहीं पाए जाने पर मस्तिष्क का प्रयोग कर अभियोजन स्वीकृति जारी कर राजेश त्रिपाठी को इस्तगासा प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति जारी करना बताता है। गवाह राजेश त्रिपाठी द्वारा अपने समक्ष फार्म नंबर 06 ए 07 ए खोये के पैसे की रसीदए पंचानामा लैब की रिपोर्ट अधिसूचना के कागजात आदि पेश किया जाना बताता है। गवाह स्वयं से पहले इस परिवाद में पेपर स्लिप डॉक्टर जवाहरलाल गार्गिया द्वारा जारी करना बताता है।

11. गवाह पीडब्ल्यू.03 डॉ जवाहरलाल गार्गिया भी अपने बयानों में स्वयं द्वारा राजेश त्रिपाठी को स्लिप नंबर ए/2545 दिया जाना बताता है। आगे गवाह पीडब्ल्यू.02 के अनुसार उसने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में इस्तगासा पेश करने हेतु अभियोजन सहमति प्रदान करना जो प्रदर्श पी.17 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना बताता है।

12. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित खाद्य निरीक्षक व सैंपलिंग की कार्यवाही के गवाह के द्वारा विक्रेताध्मुलजिम से नियमानुसार 750 ग्राम खोया का सैंपल खरीदकरए उन्हें तीन बराबर 250–250 ग्राम भाग में बांटकर नियमानुसार साफ सुथरी सूखी खाली शीशियों में डालकर व अधिनियम के अनुसार 20–20 बुंदे फॉर्मेलिन की डालकर उन्हें सील मोहर करना बताया गया है व खाद्य निरीक्षक द्वारा सैंपल को अगले कार्य दिवस में नियत फार्म के साथ जनप्रयोगशाला में जमा कराए जाने के कथन किए गए हैं। उक्त कार्यवाही से संबंधित समस्त कागजात प्रदर्शित करवाए गए हैं। गवाह पीड.2 डॉक्टर लक्ष्मण हरचंदानी द्वारा समस्त कागजात के अवलोकन करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद पेश करने हेतु अभियोजन सहमति प्रदान करने के कथन किए गए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त से मौके पर लिए गए सैंपल की जनप्रयोगशाला द्वारा जांच किए जाने पर वे निधार्रित मानक कोटि के नहीं होना पाए गए।

13. इस प्रकार यह जाहिर नहीं होता है कि प्रस्तुत परिवाद में व सैंपलिंग की कार्यवाही

करने वाले खाद्य निरीक्षक व अन्य गवाह प्रेमचंद के द्वारा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु तलब करने बाबत कोई प्रयास किए गये हों, परंतु कोए परंतु कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, जिस कारण प्रेमचंद शर्मा को सरकारी गवाह बनाया गया हो। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यह स्पष्ट है कि धारा 10(7) के तहत खाद्य निरीक्षक पर यह जिम्मेदारी है कि वह सैंपलिंग की कार्यवाही हेतु गवाहों को श्बुलाएश्। उक्त प्रावधान के तहत यदि खाद्य निरीक्षक द्वारा आसपास के व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु बुलाए जाने की कार्यवाही की जाती है तो धारा 10(7) पीएफए अधिनियम की पालना की जाना माना जाएगा। हालांकि अधिनियम में कहीं भी यह प्रावधानित नहीं है कि किसी व्यक्ति को गवाह बनने हेतु कोई लिखित में नोटिस दिया जाना आवश्यक हो। इस प्रकार उक्तानुसारए यह स्पष्ट है कि खाद्य निरीक्षक द्वारा सैंपलिंग की कार्यवाही के दौरान धारा 10(7) पीएफए अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। फलस्वरूपए बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी पोषणीय प्रतीत होता है।

14. इस प्रकार सैंपलिंग की कार्यवाही के उक्त दोनों गवाहान के कथनों के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि परिवादी द्वारा सैंपलिंग की कार्यवाही किए जाने के दौरान अधिनियम की धारा 10(7) के अनुसरण में किसी भी गवाह को बुलाने के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश मेंए प्रकरण में परिवादी खाद्य निरीक्षक द्वारा पीएफए अधिनियम की धारा 10(7) की पालना नहीं किए जाने के कारण जाहिर तौर पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है व बचाव पक्ष का उक्त तर्क पोषणीय प्रतीत होता है। उभय पक्षों के तर्कों के संदर्भ में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन–विश्लेषण करें –अपने मामले को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष का सर्वप्रथम तर्क यह रहा है कि खाद्य निरीक्षक द्वारा सैंपलिंग की कार्यवाही करने के समय अधिनियम की धारा 10(7) के अनुसरण में किसी स्वतंत्र व्यक्ति को कार्यवाही हेतु गवाह बनाए जाने के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

15- इस स्तर पर अधिनियम की धारा 10(7) का अवलोकन करे, तो उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि "Where the food inspector takes my action under clause (a) of sub-section (1), sub-section (2), sub-section (4) or sub-section (6), he shall call one or more persons to be present in the time when such action is taken and take his or their signatures." माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत *राम लभाया बनाम एस.सी.डी., दिल्ली (*AIR 1974 SC 789) में यह अभिनिर्धारित किया है कि "We are of the opinion, particularly in view of the legislative history of Section 10(7), that while taking action under any of the provisions mentioned in the sub-section,

the Food Inspector must call one or more independent persons to be present at the time when such action is taken".

16- इसके अतिरिक्त, केरला उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत *फूड इंस्पेक्टर बनाम नारायणन* 2003(2 KLT 1035) में अभिनिर्धारित किया है कि "Section 10(7) is enacted as a safeguard against any possible allegation of excesses, irregularity or unfairness on the part of the Food Inspector. This being the object, it is in the interest of the prosecuting authority to comply with provisions of Section 10(7). Statue cast a duty on the Food Inspector to call witness. The object of calling persons to witness action is to assure fairness in the action, the persons called must be independent and not suspectable to the influence of the Food Inspector."

17- न्यायिक दृष्टांत *खाद्य निरीक्षक बनाम पॉलराज* (डीओजे 11-02-2004) में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति बाबत् पारित आदेश कोई यथावत रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि "Strict procedure is contemplated under Section 10 of the Act. The food inspectors are expected to strictly follow the procedure...While taking action under any of the provisions mentioned in Section 10 (7), the food inspector must call one or more independent persons to be present at the time when such action is taken....Therefore section 10(7) is mandatory and makes it obligatory on the part of food inspector to call a person or persons to take sample in the presence of such person or persons. In this case it is not as if no witness was called. Witness Kuppusamy was called and his signatures was also taken on the bottles. To prove the compliance of the proper procedure, examination of Kuppusamy was very much necessitated. Any doubts that he may not support the case of the complainant need not detain the prosecution from detaining the witness. Absolutely no reason is forthcoming for the non examination of witness Kuppusamy. In view of the matter, the finding of trial court on the non-compliance of Section 10(7) and in not examining the witness Kuppusamy is to be endorsed with".

इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टांत *एचलुंबाराम बनाम ए. रामराज* (डीओजे 09-12-2019) में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "In State by Food Inspector, Trichy v Paulraj, a learned single judge of this court has held that the compliance of provisions of Section 10(7) of the PFA Act is mandatory. Therefore, on this short ground, this Criminal Revision Case deserves to be allowed and accused deserve acquittal."

18– चूंकि, न्यायालय द्वारा उक्तानुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि परिवादी द्वारा

सैंपलिंग की कार्यवाही के संबंध में अधिनियम की धारा 10(7) के तहत आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः ऐसे में बचाव पक्ष द्वारा रखे गए अन्य तर्कों पर विवेचन की आवश्यकता नहीं रह जाती है व उक्तानुसार, परिवादी पक्षा साबित करने में विफल रहा है किदिनांक 04.11.2010 को समय 4:30 पी.एम. या इसके लगभग शास्त्री नगर, कनक गार्डन के पास, अजमेर स्थित अभियुक्त के नियंत्रणाधीन मैसर्स गोपाल मिष्ठान भंडार पर विक्रयार्थ रखे खोया का सैंपल प्राप्त किया, जो बाद जांच निर्धारित मानक कोटि का नहीं पाया गया। अतः उक्त विवेचनानुसार अभियुक्त रविन्द्र सिंह पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

19– अतः उक्त विवेचनानुसार अभियुक्त रविन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री गोपाल सिंह सिसोदिया, मैंसर्स –गोपाल मिष्ठान भंडार शास्त्री नगर कनक गार्डन के पास अजमेर निवासी गोपाल गंज, अजमेर को उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवार अधिनियम, 1954 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20– अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश जमानत व मुचलके निरस्त किये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा सैम्पल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट करने बाबत तहरीर जारी की जावे।

(पूरनसिंह मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–01, अजमेर।

21 – निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूरनसिंह मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–01, अजमेर।